UPME010081022026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

कपिल प्रति उ०प्र० सरकार

विविध वाद सं०– 629/2026

पुकार पर प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है।

अभियुक्त/आवेदक कपिल पुत्र चामा की ओर से यह प्रार्थना पत्र कागज संख्या3 ख अन्तर्गत धारा 467 भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता मय शपथ पत्र नीलम देवी इस आशय की दाखिल की गयी है कि जेल लोक अदालत में अभियुक्त/आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या– 293/2024 थाना परतापुर में धारा 305, 331(4) भारतीय न्याय संहिता के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरधना मेरठ के समक्ष 09.06.2025 को अपराध स्वीकार किया, जिसमें उसे 1 वर्ष 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई। इससे पूर्व अभियुक्त/आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या– 471/2019 धारा 392, 411 भारतीय दण्ड संहिता के तहत गंगा नगर थाने में 05.06.2025 को अपर मुख्य न्यायिक–6 मेरठ द्वारा दोषी ठहराया गया था और उसे 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। चूंकि निर्णय में यह उल्लेख नहीं है कि दोनों मुकदमा अपराध संख्या की सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए उसकी सजाएं एक के बाद एक चल रही हैं। अतः धारा 467 भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता के तहत आवेदन स्वीकार किया जाकर दोनों मामलों की सजा को एक साथ चलाने की अनुमति दिये जाने की याचना की गयी है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरधना मेरठ के आदेश दिनांक 05.05.2026 का अवलोकन किया गया, जिसमें अवर न्यायलय द्वारा अभिकथित किया गया है कि–

"अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 467 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दोनों मामलों की सजा को एक साथ चलाने की अनुमति दिये जाने हेतु आदेश में परिवर्तन की याचना की गयी है। अवलोकन से यह भी विदित होता है कि यह कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं है, न ही धारा 403 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (362 भारतीय दंड संहिता) के अंतर्गत परिवर्तन किये जाने योग्य है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 467 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पोषणीय न होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।"

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दोनों मामले भिन्न भिन्न हैं। विद्वान अवर न्यायालय नें धारा 467 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट किया

है कि यह कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं है। अर्थात न्यायालय ने धारा 467 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत दोनों मामलों की सजाओं को साथ–साथ चलने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। अतः विद्वान अवर न्यायालय का आलोच्य आदेश विधिक प्रावधानों के अनुरूप है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

तदनुसार आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3 ख निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 04.06.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा, द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
J.O. Code. U.P. 6030

This is uncertified copy for information/ reference.
For authentic copy please refer to certified copy only.